उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-1107/एक-1-2016-5(100)/2014

लखनऊ: दिनॉक: 22 अगस्त, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 231 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल महोदय नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 में उल्लिखित गॉव सभा में निहित की गई थी, का पुनर्ग्रहण करते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गौतमबुद्धनगर	सदर	दादरी	मकौड़ा	3	0.0537	औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सुनियोजित विकास हेतु
2					4	0.0253	
3					6	0.1707	
4					8	0.0132	
5					11	0.0246	
6					13	0.0120	
7					21	0.2276	
8					22	0.0759	
9					23	0.1536	
10					27	0.0429	

shasanadesh.up.nic.in

11					29	0.0101	

-2-

12					40	0.0866	
13					41	0.0385	
14					45	0.0455	
15					51	0.0392	
16					52	0.0164	
17					61	0.3420	
18					62	0.0923	
19					67	0.0354	
20					68	0.0189	
21					71	0.0082	
22					73	0.0714	
23					74	0.0303	
24					76	0.0278	
25					82	0.0904	
26					83	0.0404	
27					93	0.0253	
28					95	0.0632	
29					103	0.2339	
30					104	0.0126	
31					107	0.0266	
32					108	0.0531	
33					110	0.0506	
34					112	0.0417	

shasanadesh.up.nic.in

35					113	0.0253	
36					114	0.0151	
37					118	0.3717	

-3-

38					121	0.0582	
39					122	0.0322	
40					125	0.0784	
41					129	0.0310	
42					131	0.0474	
43					134	0.0436	
44					135	0.0670	
45					143	0.0284	
46					144	0.0676	
47					148	0.0214	
48					159	0.0531	
49					160	0.0588	
50					161	0.0885	
51					164	0.0164	
52					168	0.0157	
53					169	0.0126	
54					170	0.0227	
55					171	0.0126	
56					176	0.0310	
57					178	0.0392	
58					182	0.1182	

shasanadesh.up.nic.in

59					185	0.0392	
60					188	0.0278	
61					189	0.0316	
62					191	0.0354	
63					192	0.0638	

-4-

64					193	0.0132	
65					194	0.0139	
66					196	0.0240	
67					199	0.0240	
68					200	0.0132	
69					202	0.0233	
70					203	0.0620	
71					213	0.0284	
72					214	0.0423	
73					215	0.0923	
74					225	0.1846	
75					227	0.0379	
76					228	0.0227	
77					233	0.0752	
78					234	0.0398	
79					235	0.0139	
80					246	0.0221	
81					247	0.0120	
82					253	0.0448	

shasanadesh.up.nic.in

83					254	0.3692	
84					257	0.0240	
85					260	0.0227	
86					261	0.0467	
87					265	0.0506	
88					272	0.0278	
89					275	0.1922	

-5-

90					278	0.0797	
91					290	0.0436	
92					291	0.0866	
93					293	0.0214	
94					296	0.1125	
95					297	0.0613	
96					298	0.0120	
97					301	0.0341	
98					305	0.5185	
99					323	0.3414	
100					326	0.0582	
101					337	0.0385	
102					338	0.0044	
103					350	0.2130	
104					352	0.0695	
105					355	0.0195	

shasanadesh.up.nic.in

106					362	0.1201	
107					363	0.0638	
108					367	0.0233	
109					376	0.0139	
110					377	0.0385	
111					388	0.0954	
112					391	0.0139	
113					392	0.5551	
114					393	0.0120	

-6-

115					400	0.0183	
116					401	0.0208	
117					403	0.0233	
118					406	0.0404	
119					407	0.0120	
120					412	0.0297	
121					413	0.3199	
122					415	0.0417	
123					419	0.0797	
124					420	0.0341	
125					425	0.0404	
126					426	0.0708	
127					431	0.1745	
128					432	0.0784	
129					438	0.0588	

shasanadesh.up.nic.in

130					440	0.0607	
				योग	**कुल 130 गाटा**	**9.1303 हे0**	

2. इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3. यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश संख्या-1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53, दिनॉक 20.11.2015 के अनुसार भूमि की कीमत ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो तथा शासनादेश संख्या-888/एक-1/04-रा0-1, दिनॉक 14-09-2004 के अनुसार उक्त भूमि की नयी दरों पर निकाली गई मालगुजारी के 150 गुना के बराबर पूंजीकृत मूल्य/ वार्षिक किराया लेखा शीर्षक

-7-

-7-

"0029-भू राजस्व-800-अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियॉ" के नाम जमा कराये जाने की सूचना तथा चालान की प्रति राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्तानुसार वॉछित धनराशि जमा कराये जाने के पश्चात भूमि का कब्जा ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दिया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। ग्राम सभा की उक्त भूमि औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखी जायेगी ।

4. ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के उपयोगार्थ सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा-चकमार्ग, चकरोड, मुख्यमार्ग, रास्ता व नाली की भूमि का पुनर्ग्रहण इस शर्त के अधीन किया जा रहा है कि ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा चकमार्ग, मुख्यमार्ग व रास्ताकी भूमि का पुनर्ग्रहण होने के उपरान्त ग्रामवासियों का आवागमन बाधित नहीं करेंगे तथा नाली के माध्यम से हो रहे सिंचाई की सुविधा तथा पानी के नैसर्गिक बहाव को भी अवरूद्व नहीं करेंगे।

5. जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश पुनर्ग्रहण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

shasanadesh.up.nic.in

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1107(2)/एक-1-2016-5(100)/2014 तद् दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।
4. जिलाधिकारी, गौतमबुद्वनगर को उनके पत्र संख्या-1247/डीएलआरसी/2012-13, दिनॉक 06.10.2012 के सन्दर्भ में
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, एच0 169, सेक्टर गामा, ग्रेटर नोयडा, जनपद गौतमबुद्वनगर ।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasanadesh.up.nic.in